

राजेन्द्रकोट

फर्द अहकाम

बनाम

15 द्यूणा (कॉर) 1

36/2014
Copy - Not Official

उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जयपुर (राज.)

धार्मिक पत्र

पुर)

4

विशेष

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

01-11-18 तक की सभी प्रार्थी उषा। इसके
पेचे धरे पुनः तस्की रजिस्टर्ड अधार्थी
गण दिनांक 15-3-18 को पेचे धरे तब
तक पूर्व आदेश प्रामाणी रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

15-3-18 तक की सभी प्रार्थी उषा। पुनः (क्रि.)
तस्की अधार्थीगण को पेचे करने को
आपस चाहा। पगावली दिनांक 10-5-18
को पेचे धरे तब तक एवं आदेश
प्रामाणी रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

03/05/18

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैंपकोट
केरली में पेश हुई। प्रतिवादी सं.। उपस्थित
हुका। पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध
सलाहकों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का
अवलोकन किया गया। काडी का हस्तगत
काद घोषणा खतेदारी से संबंधित है तथा
उभय पक्षकार एक ही परिवार के आपस
में पिता, पुत्र व पुत्रियां हैं। प्रकरण में
न्यायालय हाज द्वारा काडीगण के हिले
तक अंतरिम आस्थात्री निषेधाज्ञा कोडेश
दिनांक 24/01/18 जारी किया गया है।
उभय पक्षकारों के मध्य आपसी विवाद
नहीं बरहः इसके लिए अधार्थीगण को
ताकसला मूल काद पादक किया जाना



नि. द्यूणा (कॉर)



विशेष
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)



फर्द अहकाम
राजेन्द्र कौ बनाम V/S धूणादास कौ

न्यायालय-उप खण्ड अधिकारी विराटनगर, जयपुर (रज.)
केस संख्या 136/2014

प्रार्थनापत्र

दिनांक आदेश या संख्या

आज्ञा विस्तृत रूप से



न्याय खंगत है कि बाँके ग्राम केंद्री के ख.नं. 3081, 3082, 3083, 3084
 $\frac{0.64}{0.64}$, $\frac{0.16}{0.16}$, $\frac{0.57}{0.57}$, $\frac{0.96}{0.96}$
 3085, 3945/3089, 2946/3079 कुल
 $\frac{0.08}{0.08}$ $\frac{0.41}{0.41}$ $\frac{0.09}{0.09}$
 एकटा 2.58 हेक्टेयर एवं ख.नं. 3071 हेले
 $\frac{0.38}{0.38}$
 मे से 99 वर्गमीटर यानी 01 एकर में बनी
 पाह एवं किजली कनेक्शन में प्रार्थीगण
 के विले एवं एडु अधिका की भूमि में
 शांतीपूर्वक कार्य होकर दाखल करने हेके
 आराजी के राजस्व रिहाई की मथास्दि लि
 बनाये रहे। अप्रार्थीगण ताफैसला कुल
 दाह पाबन्द रहे।

पीठासीन अधिकारी
 राजस्व लोक अदालत
 न्याय आपके द्वार-2018
 उपखण्ड- विराटनगर (जयपुर)